

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री य शार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9735

दिनांक - 10.12.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जेटानंद पुत्र मोहनलाल निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर हाल निवासी चौहटन रोड नजदीक थार गैस एजेन्सी बाड़मेर।

1 गेनाराम पुत्र कबीराराम 2 उम्मेदाराम पुत्र केसाराम उर्फ किशनाराम 3 केंकू पत्नि नाथाराम 4 कूम्याराम पुत्र जुगताराम 5 खंगाराराम पुत्र नाथाराम 6 देवाराम पुत्र केसाराम उर्फ किशनाराम 7 अशोक कुमार पुत्र चुनीलाल नाबलिंग जरिये संकक्षक दीवाली 8 विक्रम पुत्र चुनीलाल नाबलिंग जरिये संकक्षक दीवाली 9 दीवाली पत्नि चुनीलाल 10 नरपतराम 11 पदमाराम पिसरान केसाराम उर्फ किशनाराम 13 भवाराम 14 मानाराम पिसरान जुगताराम 15 रेशमाराम पुत्र केसाराम उर्फ किशनाराम 16 राणाराम 17 हेमाराम पिसरान नाथाराम जाति भील 18 रिझु पुत्र सिवा जाति सांसी निवासी आदर्श महाबार, तहसील व जिला बाड़मेर 19 घनाराम पुत्र जोगाराम जाति भील निवासी पाबूसरी 20 प्रधानाध्यापक, राजीव गांधी पाठशाला, पाबुटुला, महाबार 21 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 253/2025

दिनांक- 28/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श महाबार पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 2502/175 रकबा 0.6394 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा गौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 10.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9736-39

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जेटानंद पुत्र मोहनलाल निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर हाल निवासी चौहटन रोड नजदीक थार गैस एजेन्सी बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गेनाराम पुत्र कबीराराम वगैरह जाति भील निवासी आदर्श महाबार, तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर